Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 6, 2026 (CHAITRA 16, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 अप्रैल, 2026

पशुओं में संक्रामक एवं सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009

क्रमांक 1722(सी0एफ0एम0एस0)–एएच–4–2026/2109.— पशुओं में संक्रामक एवं सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 की अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार एतद्द्वारा जिला चरखी दादरी को तत्काल प्रभाव से ''नियंत्रित क्षेत्र'' घोषित करती है।

जन सुरक्षा एवं पशुस्वास्थ्य के दृष्टिगत तथा ग्लैंडर्स रोग की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु, उक्त जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर समस्त अश्व प्रजातियों–यथा घोड़े, गधे, खच्चर एवं टट्टू– के परिवहन, प्रवेश, निकास एवं आवागमन पर एतद्द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

विजय सिंह दहिया,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 6th April, 2026

THE PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS AND CONTAGIOUS DISEASES IN ANIMALS ACT, 2009

No. 1722(CFMS)-AH-4-2026/2109.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6, read with Sub-section (1) and (2) of the Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act No. 27 of 2009), the Government of Haryana hereby declares **District Charkhi Dadri** as "Controlled Area" with immediate effect.

In the interest of public safety and animal health, and for the effective prevention and control of Glanders Disease, a complete prohibition is hereby imposed on the transport, entry, exit, and movement of all equine species – including horses, donkeys, mules, and ponies – within the territorial boundaries of the said district.

VIJAY SINGH DAHIYA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department.

12533—C.S.—H.G.P., Pkl.